भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3374
उत्तर देने की तारीख : 12.03.2026

उद्यम पोर्टल के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड

3374. श्री तेजस्वी सूर्या :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को कितने क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और इनके अंतर्गत कुल कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है और इनके पुनर्भुगतान की क्या स्थिति है;

(ख) सूक्ष्म उद्यमों को ऐसे क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है और क्या इसे वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान भी जारी रखा जाएगा और यदि हां, तो लाभार्थियों की अनुमानित संख्या कितनी है और ऋण की अनुमानित राशि कितनी बढ़ाई जानी है;

(ग) क्या सरकार का उक्त पहल में कोई संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी अनुमानित समय-सीमा क्या है और इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : केंद्रीय बजट 2025-26 ने उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले समायोजित क्रेडिट कार्ड शुरू करने की घोषणा की है। यह स्कीम वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। जैसा कि डीएफएस द्वारा सूचित किया गया है, बजट घोषणा का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है। भारतीय बैंक संघ और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के परामर्श से यह मॉडल स्कीम विकसित की जा रही है।

*****